सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 19 फाल्गुन, 1946 (श०) / 10 मार्च, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 01

(1)	वित्त विभाग - -	01
	कुल योग --	01

औचित्य बतलाना

6. श्री अजय कुमार सिंह (जमालपुर, मुंगेर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य कर्मियों को वेतन भत्ता/पेंशन एवं उपदान आदि केन्द्र सरकार के कर्मियों के समरूप देने के लिये नीतिगत रूप से बाध्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 7वें वेतन आयोग ने वेतन पुनरीक्षण के क्रम में उपदान की राशि 20 लाख रुपये निर्धारित करते हुये यह अनुशंसा किया था कि महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर उपदान की राशि 25 लाख रुपये कर दी जायेगी, तद्नुसार केन्द्र सरकार द्वारा उपदान की राशि 25 लाख रुपये निर्धारित कर दी गई है, परंतु बिहार सरकार द्वारा उपदान की संशोधित राशि अबतक राज्य के कर्मियों के लिये लागू नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा उपदान की राशि 25 लाख रुपये अबतक स्वीकृत नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

पटना :
दिनांक 10 मार्च, 2025 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 86(एल0ए0), 2024-25-डी0टी0पी0-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025